

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मु.न. 323/18

सरकार

बनाम

श्री: जगत मोहन

वशि - जोगी ल. रामीन

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. एकट

दिनांक 22/2/18

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण वृत्तान्त अनुसार पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 91 एल. आर. इस का पेश की गई कि अतिक्रमी श्री जगत पुत्र श्री मोहन जाति जोगी निवासी कामीन तहसील महवा ने संवत् 2024 फसल रवि / खरीफ में ग्राम कामीन की राजकीय आराजी खसरा नं. 331 रकबा 14.98 किस्म जगत भूमि से 6.02 रकबा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिचार कर लिया है।

रिपोर्ट प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्रति बाद तामिल शामिल पत्रावली है।

अतिक्रमी हाजिर हुआ। अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया। अतिक्रमी की ओर से अतिक्रमण करने का कोई ठोस जवाब पेश नहीं किया गया। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रमाणित है। जो राज.भू.-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दण्डनीय है।

अतः अतिक्रमी को नाजायज रूप से अतिक्रमण करने पर अतिचारित रकबा से बेटखलु किया जाना है व भूमि के वार्षिक लगान रुपये 688 का 50 गुना 344 राशि की शास्ति आरोपित कर दण्डित किया जाता है।

पटवारी व टी.आर.ए. को मांग कायमी एवं वसुली हेतु पटवारी हल्का व भू-अभिलेख निरीक्षक को बेटखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार का जाकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल व तकमील लेख भण्डार हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)
महवा जिला दौसा

रजिस्टर ग/घ के पेज नं० 27 पर
वर्ष 2017-18
की राशि ताकती रूप से 544
की जमा कायमी को 544
दिनांक 5/3/18 तहसील महवा न्यायाकार
तहसील-महवा